118

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन / निगरानी / भिण्ड / भू.रा. / 2017 / 4146 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—10—2017 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील भिण्ड के प्रकरण कमांक 467 / अ—6 / 2016—17.

.....

1—श्रीमती सीमा देवी पुत्री भूरे सिंह
पत्नी संतोष सिंह निवासी ग्राम
चरथरा तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—श्रीमती श्रीमती सुनीता भदौरिया
पत्नी लालसिंह भदौरिया निवासी
सैनिक वस्ती पिन्टू पार्क मुरार
जिला ग्वालियर म0प्र0
2—भूरेसिंह पुत्र मुकट सिंह भदौरिया
निवासी रूपसहाय का पुरा मौजा कचोगरा
तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0
3—राकेश पुत्र स्व0 रामेन्द्र सिंह भदौरिया
निवासी रूपसहाय का पुरा मौजा कचोगरा
तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0

——अनावेदकगण

—— तरतीवी अनावेदक

.....

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 19-1-18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 27—10—17 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक –2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का अनावेदक कमांक–1 को भूमि सर्वे कमांक 1115, 1125, 774, 1096, 1738, 1508, 764 कुल किता 8 रकवा 2.870 है0 में से 0.43–1/2 का दिनांक 28.3.17 को बैयनामा कर दिया गया था। जिसका नामांतरण कराने पर आवेदक द्वारा आपत्ति की गई है। विवादित नामांतरण होने पर पटवारी द्वारा दिनांक 6.5.17 को तहसीलदार भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां पर प्रकरण कमांक 467/2016–17/अ–6 पर दर्ज होकर इस्तहार जारी किया गया। आवेदक द्वारा आपत्ति की गई। तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.10.17 को आपत्ति निरस्त कर दी गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एवं तरतीवी अनावेदक कमांक 3 द्वारा अनावेदक कमांक 2 का दाविया भूमि पर वास्तविक रूप से कोई कब्जा नहीं हे उसके बावजूद उसने अवैध व अनावधिकृत रूप से अनावेदक कमांक 1 के नाम साजिसन बिना स्वत्व के नुमायसी बयनामा किया गया है जिसके आधार पर अनावेदक कमांक–1 को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। आवेदिका एवं तरतीवी अनावेदक कमांक 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने के आधार पर ही प्रकरण विवादित होने से पटवारी मौजा द्वारा नामांतरण पंजी को आपत्ति सहित अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हे जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीवद्व कर अनावेदकगण को तलव करने का आदेश दिया था। अवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अनावेदिका कमांक 1 व अनावेदक कमांक 2के कथन अवैध रूप से अंकित करा लिये गये हैं उक्त कथन अनावेदक गण की अनुपस्थिति में लिया जाना न्यायोचित नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार भिण्ड का अंतिरिम आदेश दिनांक 27.10.17 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि तहसीलदार भिण्ड द्वारा आवेदिका की आपत्ति निरस्त कर दी गई है और अनावेदक कमांक–1 द्वारा संपूर्ण प्रतिफल अदा कर के ही भूमि कय की गई है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि आवेदिका द्वारा

माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 भिण्ड के समक्ष व्यवहारवाद प्रकरण कमांक 19ए/2015 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 27.2.17 को निरस्त हो चुका है। अनावेदकगण अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदिका की निगरानी निरस्त् की जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक –2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का अनावेदक कमांक–1 को भूमि सर्वे कमांक 1115, 1125, 774, 1096, 1738, 1508, 764 कुल किता 8 रकवा 2.870 है0 में से 0.43–1/2 का दिनांक 28.3.17 को बैयनामा कर दिया गया था। जिसका नामांतरण कराने पर आवेदिका द्वारा आपत्ति की गई है। विवादित नामांतरण होने पर पटवारी द्वारा दिनांक 6.5.17 को तहसीलदार भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.10.17 को आवेदिका की आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। प्रकरण आपत्ति पर अंतिरिम बहस हेतु दिनांक 30.10.17 को नियत किया गया था। वैसे भी आवेदिका द्वारा माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 भिण्ड के समक्ष व्यवहारवाद प्रकरण कमांक 19ए/2015 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 27.2.17 को निरस्त हो चुका है। इससे स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालय पर सिविल न्यायालय का आदेश बंधनकारी है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय तहसीलदार तहसील भिण्ड के प्रकरण कमांक 467/अ–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 27.10.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 भिण्ड के समक्ष व्यवहारवाद प्रकरण कमांक 19ए/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.2.17 के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर